(ख) क्या यह सच है कि उन योजनाओं की पूरी क्षमता का केवल 30 प्रतिशत ही कृषि प्रयोजनों के काम में लाया गया; और

(ग) क्या भविष्य में कोई सुधार करने के बारे में इस मूल्यांकन प्रतिवेदन में कोई हिदायतें दी गई हैं ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं ।

परन्तु योजना आयोग के अनुरोध पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1960–61 में लघु सिंचाई की समस्याओं का अध्ययन किया था । इस अध्ययन के उद्देश्यों में एक यह भी था कि वर्तमान लघु सिंचाई साधनों के उपयोग की समस्याओं का विश्लेषण किया जाए और यह आंका जाए कि 1965–66 से फसल प्रतिरूपों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है ।

(ख) जी, नहीं ।

किन्तु अध्ययन से यह पता चला था कि लघु सिंचाई साधनों की सम्भावनाओं का काफी हद तक न्यून उपयोग हुआ था । नमूने के गांवों में (जिनकी कुल संख्या 126 थी), विद्यमान लघु सिंचाई साधनों की क्षमता का 1959–60 की खरीफ की फसल में केवल 48 प्रतिशत और रबी की फसल में 70 प्रतिशत उपयोग हुआ था ।

(ग) लघु सिंचाई की समस्याओं के अध्ययन की रिपोर्ट से कई विचारणीय विषय सामने आए थे । राज्यों के ट्यूबवैल और भंडार आदि जो बड़े साधन राज्यों के स्वामित्व में हैं उनके न्यून उपयोग का कारण अधिकारियों और खेतिहरों में फसल प्रतिरूपों के बारे में चिन्तन पद्धति की भिन्नता थी । कुओं और पम्पों के न्यून उपयोग का कारण उनमें परस्पर पर्याप्त दूरी न होना होता है, यह स्थिति तब आती है जबकि पड़ोसी खेतिहर या समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना वे प्रतिकूल स्थान पर लगा दिए जाते हैं । रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि पम्प सेटों और ट्यूबवैलों की क्षमता और खेतिहरों की सिंचाई आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित किया जाए । उपयोग के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि ट्यूबवेलों को किसी स्थान पर लगाने के पहले यह जांच अधिक सावधानी से कर ली जाए कि वहां पानी की मांग कितनी रहेगी और क्या फसलें उगाई जाएंगी । जो लोग पम्पसेट लगाते हैं वे लोग अपना पानी दूसरों को बेचते नहीं हैं इस कारण से भी पानी का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है ।

Meeting of Indus Waters Commission

289. Shri Rameshwar Tantia:
Shri Himatsingka:
Shri Lahtan Chaudhry:
Shri Narayan Reddy:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan has proposed to the Government of India to convene the next meeting of the Indus Waters Commission in Colombo; and

(b) if so, the Government's reaction thereto?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) Yes, Sir.

(b) Article VIII(5) of the Treaty specifically provides for the meetings of the Permanent Indus Commission to be held alternately in India and Pakistan. At the last meeting of the Commission was held in Pakistan, Government of India had suggested that the next meeting be held in Delhi. Pakistan has since agreed to hold the meeting in Delhi.

Plan Aid for U.P. and Bihar

290. Shri Rameshwar Tantia:
Shri Himatsingka:
Shri Narayan Reddy:
Shri Lahtan Chaudhry:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh and Bihar Governments